

छत्तीसगढ़ शासन

परिवहन विभाग

छत्तीसगढ़

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2006-2007

विधान सभा बजट सत्र 2007

परिवहन विभाग
आपका स्वागत करता है

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष, 2006–2007

1. विभाग का नाम : परिवहन
2. विभाग के मंत्री : माननीय श्री हेमचंद्र यादव

सचिवालय

1. अपर मुख्य सचिव : श्री बी.के.एस. रे (भा.प्र.से.)
2. विशेष सचिव : श्री अशोक जुनेजा (भा.पु.से.)

विभागाध्यक्ष

- परिवहन आयुक्त : श्री बी.के.एस.रे (भा.प्र.से.)

छत्तीसगढ़ शासन
परिवहन विभाग

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष, 2006-2007

भाग-एक

1. विभागीय संरचना-

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 213 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 243 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत मोटरयान विभाग छत्तीसगढ़ शासन का परिवहन विभाग है। विभाग में परिवहन आयुक्त विभागाध्यक्ष है। श्री बी.के.एस. रे (भा.प्र.से.) विभागाध्यक्ष के पद पर पदस्थ है, वे विभागीय दायित्वों व कृत्यों का निष्पादन, क्रियान्वयन, संचालन एवं नियंत्रण अपने अधीनस्थ पदस्थ प्रशासकीय अधिकारियों के माध्यम से संपादन कर रहे हैं।

श्री वाय.के.एस. ठाकुर (भा.पु.से.) अपर आयुक्त, सह-विशेष के पद पर दिनांक 26.10.2006 तक पदस्थ रहे तथा वर्तमान में दिनांक 27.10.2006 से श्री अशोक जुनेजा (भा.पु.से.) अपर आयुक्त, सह-विशेष सचिव के पद पर पदस्थ है।

श्री एस. बी काले, उप-संचालक (वित्त) के पद पर दिनांक 04.7.2006 तक पदस्थ रहे तथा वर्तमान में, श्री यूनूस खान, उप-संचालक (वित्त) के पद पर दिनांक 03.7.2006 से पदस्थ हैं। श्री बी.एल. ध्रुव, सहायक परिवहन आयुक्त के पद पर पदस्थ हैं। श्री विजय कुमार कर्वे, सहायक परिवहन आयुक्त (विधि) के पद पर दिनांक 29.4.2006 तक पदस्थ रहें तथा वर्तमान में श्री आर.के. राय, सहायक परिवहन आयुक्त विधि के पद पर दिनांक 12.12.2006 से पदस्थ है। श्री एस.के. चन्द्राकर कनिष्ठ लेखाधिकारी, 21.9.2006 तक पदस्थ रहे तथा वर्तमान में सी.के. चौहान, कनिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ है। विभागीय कार्यकलापों, गतिविधियों एवं योजनाओं की प्रगति का सम्प्रेषण व प्रस्तुतीकरण कार्य श्री उदेराम ध्रुव, संगणक एवं श्री सुरेश डेकाडे, संगणक द्वारा निष्पादित किया गया है।

परिवहन आयुक्त कार्यालय में ही राज्य परिवहन प्राधिकार संचालित है। श्री बी.के.एस. रे, अपर मुख्य सचिव, गृह (परिवहन) 07 नवम्बर, 2005 से अध्यक्ष के पद पर पदस्थ है। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर एवं मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) रायपुर शासकीय सदस्य है तथा अशासकीय सदस्य के रूप में श्री मुरलीधर अग्रवाल का मनोनयन किया गया है। अपर आयुक्त परिवहन राज्य परिवहन प्राधिकार के सचिव के रूप में कार्यरत है।

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं सहपठित नियमों के अन्तर्गत राज्य के भीतर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को परमिट प्रदान की शक्तियाँ हैं। संभाग आयुक्त का पद समाप्त होने के पश्चात् सम्पूर्ण राज्य को एक क्षेत्र घोषित करते हुए राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया गया है। वर्तमान में श्री एन.के. शुक्ला, (रा.प्र.से.) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं।

शासन द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकार एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील/रिक्वीजन की सुनवाई हेतु छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण का गठन दिनांक 17.1.2002 को किया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर माननीय न्यायाधीश, श्री संदीप बक्शी पदस्थ हैं।

2. अधीनस्थ कार्यालय –

प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा दुर्ग, राजनांदगांव एवं अम्बिकापुर में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा कोरबा, रायगढ़, धमतरी, महासमुन्द, कांकेर, दन्तेवाड़ा, कवर्धा (कबीरधाम), जांजगीर-चांपा, कोरिया एवं जशपुर में जिला परिवहन कार्यालय स्थापित हैं। राज्य की सीमाओं पर वाहनों की जाँच हेतु 15 परिवहन चेकपोस्ट एवं 02 उप-जाँच चौकी तथा अवैध संचालन के नियंत्रण हेतु राज्य में 7 परिवहन उड़नदस्ता निम्नानुसार कार्यरत हैं:-

<u>क्रमांक.</u>	<u>चेकपोस्ट</u>	<u>जिला</u>
1.	पाटेकोहरा, छोटा-मानपुर, मानपुर	राजनांदगांव
2.	चिल्फी	कवर्धा
3.	भगतदेवरी, बागबाहरा	महासमुन्द
4.	केंवची	बिलासपुर
5.	वाङ्गफनगर, रामानुंजगंज	सरगुजा
6.	घुटरीटोला, चांटी	कोरिया
6.	रेंगारपाली, बरमकेला	रायगढ़
7.	शंख, लावाकेरा	जशपुर
8.	कोंटा	दक्षिण बस्तर(दंतेवाड़ा)
9.	धनपूजी	उत्तरी बस्तर (जगदलपुर)

<u>क्रमांक</u>	<u>उड़नदस्ता</u>	<u>जिला-कार्यक्षेत्र</u>
1.	रायपुर	रायपुर, धमतरी, महासमुन्द
2.	बिलासपुर	बिलासपुर, जांजगीर-चांपा
3.	दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा
4.	जगदलपुर	बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर) दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)
5.	अंबिकापुर	सरगुजा, कोरिया, जशपुर
6.	कोरबा	कोरबा
7.	रायगढ़	रायगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पूर्व 9 परिवहन जॉच चौकियां कमशः
 1. वाड्रफनगर 2. रामानुंजगंज 3. धनपूंजी 4. कौंटा 5. रेंगारपाली 6. शंख
 7. भगतदेवरी 8. बागबाहरा 9. पाटेकोहरा थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात्
 6 अतिरक्त परिवहन जॉच चौकियां कमशः 1. घुटरीटोला 2. चांटी 3. कैंवची
 4. छोटा-मानपुर 5. चिल्फी 6. मानपुर स्थापित की गई है, जिनके द्वारा राजस्व संग्रहण एवं अवैध संचालन पर नियंत्रण की कार्यवाही की जा रही है।

3. विभागीय मण्डल / उपक्रम / संस्थायें-

परिवहन विभाग के अन्तर्गत विभाजित मध्यप्रदेश में स्थापित राज्य सड़क परिवहन निगम एक मात्र सार्वजनिक उपक्रम 31.12.2002 तक कार्यरत था, जिसका संचालन मध्यप्रदेश राज्य द्वारा किया जा रहा था। पूर्ववर्ती निगम के विघटन पश्चात् दिनांक 01.01.2003 से परिवहन का पूर्ण निजीकरण किया गया है। राज्य शासन द्वारा पूर्ववर्ती निगम की सम्पत्ति / दायित्वों के प्रबंधन व कर्मचारियों के पुर्नवास का कार्य सी.आई.डी.सी. को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील पूर्ववर्ती राष्ट्रीकरण स्कीम निरस्त कर दी गई है।

4. विभागीय दायित्व -

परिवहन विभाग निम्न अधिनियमों / नियमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है:-

1. केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988
2. केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989
3. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991)
4. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान नियम, 1991
5. छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994
6. छत्तीसगढ़ मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना 2001

प्रमुख विभागीय दायित्व –

1. राजस्व संग्रहण ।
 2. केन्द्रीय/राज्य मोटरयान अधिनियमों/नियमों की व्यवस्थाओं के अनुरूप वाहनों का पंजीयन, चालक अनुज्ञप्तियों, वाहन संचालन हेतु अनुज्ञा-पत्रों का निर्गमन, प्रदूषण नियंत्रण, एवं दंड इत्यादि ।
 3. अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय परिवहन नीतियों-रीतियों में समन्वय स्थापित करना ।
 4. जन अपेक्षा के अनुरूप परिवहन कार्यकलापों, गतिविधियों, योजनाओं व कार्यक्रमों का संरूपण करना, परिवर्तन एवं संशोधन ।
 5. केन्द्र/राज्य शासन के सामान्य व विशिष्ट निर्देशों व मार्गदर्शन के अनुरूप कार्य करना, विभाग का प्रमुख दायित्व है ।
5. विभागीय सामान्य जानकारी –

5.1 राजस्व संग्रहण –

वित्तीय वर्ष 2006-07 में (अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 तक) परिवहन विभाग द्वारा मोटरयानों के पंजीयन, चालक अनुज्ञप्तियों निर्गमन, वाहनों पर कर तथा अवैध रूप से संचालित परिवहन यानों आरोपित दण्ड/समझौता शुल्क के माध्यम से निम्नानुसार राजस्व संकलित किया गया है:-

<u>क्र.</u>	<u>मद</u>	<u>राशि (रूपयों में)</u>
1.	शुल्क (फीस) प्राप्तियाँ	16,65,98,797
2.	अन्य प्राप्तियाँ (परिवहन)	29,89,55,946
3.	अन्य प्राप्तियाँ (पुलिस)	1,27,62,149
4.	जीवनकाल कर	38,83,28,027
5.	मासिक कर	26,47,17,335
6.	त्रैमासिक कर	63,29,59,455
	योग-	1,78,89,13,075

5.2 मोटरयानों का नवीन पंजीयन –

वित्तीय वर्ष 2006-07 में (अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 06 तक) छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नानुसार मोटरयानों का पंजीयन किया गया है :-

क्र.	परिवहन कार्यालय का नाम	नवीन पंजीकृत वाहनों की संख्या	कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर—	39211	406559
2.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर—	13960	157620
3.	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जगदलपुर—	6114	69227
4.	अति.क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग—	26060	326854
5.	अति. क्षेत्रीय परि. कार्यालय, राजनांदगांव—	4907	43542
6.	अति. क्षेत्रीय परि. कार्यालय, अंबिकापुर—	8513	94501
7.	जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़—	8183	72404
8.	जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा—	9913	107360
9.	जिला परिवहन कार्यालय, धमतरी—	4881	54404
10.	जिला परिवहन कार्यालय, महासमुन्द—	3705	51890
11.	जिला परिवहन कार्यालय, जांजगीर—चांपा—	5055	64384
12.	जिला परिवहन कार्यालय, कोरिया—	3579	38159
13.	जिला परिवहन कार्यालय, जशपुर—	1892	20362
14.	जिला परिवहन कार्यालय, कवर्धा—	1531	14660
15.	जिला परिवहन कार्यालय, कांकेर—	971	8967
16.	जिला परिवहन कार्यालय, दंतेवाड़ा—	924	9956
		-----	-----
	योग—	139365	1540849
		-----	-----

5.3 महिलाओं के स्वामित्व में नवीन मोटरयानों का पंजीयन—

वित्तीय वर्ष 2006-07 में (अप्रैल, 06 से दिसम्बर, 06 तक) छत्तीसगढ़ राज्य में नियमानुसार महिलाओं के स्वामित्व में मोटरयानों का पंजीयन किया गया है।

क्र.	कार्यालय का नाम	महिलाओं के स्वामित्व में नवीन मोटरयानों का पंजीयन संख्या
1	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर	1951
2	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर	679
3	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जगदलपुर	538
4	अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग	3972
5	अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, राजनांदगांव	669
6	अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अम्बिकापुर	546
7	जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़	714
8	जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा	365
9	जिला परिवहन कार्यालय, धमतरी	129
10	जिला परिवहन कार्यालय, महासमुन्द	54
11	जिला परिवहन कार्यालय, जांजगीर—चांपा	246
12	जिला परिवहन कार्यालय, कोरिया	93

13	जिला परिवहन कार्यालय, जशपुर	98
14	जिला परिवहन कार्यालय, कबीरधाम(कवर्धा)	37
15	जिला परिवहन कार्यालय, कांकेर	82
16	जिला परिवहन कार्यालय, दंतेवाड़ा	75
	योग-	9948

5.4 अनुज्ञा-पत्रों का निर्गमन-

व्यवसायिक मोटरयानों को नियमित एवं वैधानिक एवं स्पर्धारहित परिचालन का दायित्व भी परिवहन विभाग को अधिनियमों एवं नियमों द्वारा प्रदत्त किया गया है, एवं परिवहन यानों को नियंत्रित किया रहा है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 (अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006) में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा स्थायी 06 एवं 463 अस्थायी अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये गये तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा स्थायी 284 एवं 16720 अस्थायी अनुज्ञापत्रों का निर्गमन किया गया। राज्य के अन्तर्गत माल वाहन संचालन हेतु परिवहन कार्यालयों द्वारा 22991 अस्थायी एवं 9039 स्थायी तथा 4504 राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं।

5.5 चालक अनुज्ञप्तियों का निर्गमन-

व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक उपयोग के चालकों को आवश्यक परीक्षण उपरांत चालक अनुज्ञप्तियां निर्गमित करने का नियमानुसार प्रावधान है। इस हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की शक्तियों मोटरयान अधिनियम/नियम में प्रदत्त है। इसके अतिरिक्त निष्पादित कार्य में जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु चालक अनुज्ञप्तियों के परीक्षण में व्यवस्था की जाती है। जिलेवार अशासकीय सदस्यों का मनोनयन निम्नानुसार किया गया है, जिनकी उपस्थिति चालक लायसेंस बोर्ड में आवेदकों के परीक्षण किया जाता है:-

जिला	लायसेंस बोर्ड के अशासकीय सदस्यों का नाम
रायपुर	1.श्री पूर्णानंद सोनी 2.श्री कृष्ण कुमार अवधिया 3.श्री शंकर व्यास 4.श्री योगेश चन्द्राकर 5.श्री चन्द्रेश वर्मा
बिलासपुर	1.श्री विरेन्द्र कुमार चौधरी

	2.श्री अतुल कुमार बापते 3.श्री शुभद्र चाकी 4.श्री भूपेन्द्र 5.श्री निर्मल कुमार जीवनानी
जगदलपुर	1.श्री रामाश्रय सिंग 2.श्री बृजेश भदोरिया 3.श्री शैलेन्द्र सिंह भदोरिया 4.श्री मनोज कटारिया
दुर्ग	1.श्री मनोज सोनी 2.श्री मोहम्मद रजा खोखर 3.श्री सैय्यद अफसरउद्दीन 4.श्री धमेन्द्र शाह 5.श्री हरीश चन्द्र सिंह
राजनांदगांव	1.श्री मुकेश सिंह बघेल 2.श्री विजय कुमार पटेल 3.श्री कुलवंत सिंह ककड़ 4.श्री राजेन्द्र श्री श्रीमाल
अंबिकापुर	1.श्री परमजीत सिंह बाम्बरा 2.श्री विनोद कुमार पाण्डेय 3.श्री अम्बिकेश केशरी 4.श्री अनुप सिन्हा
रायगढ़	1.श्री अफरोज डायमंड 2.श्री राजेन्द्र अग्रवाल
कोरबा	1.श्री रविन्द्र सोन 2.श्री नूर मोहम्मद आरबी 3.श्री विष्णु शंकर मिश्रा 4.श्री जितेन्द्र पाण्डेय
धमतरी	1.श्री दीपक बैस 2.श्री धरमसिंह साहू 3.श्री धरमचंद गोल्छा 4.श्री सनाउल्ला खान
जांजगीर-चांपा	1.श्री कृपाल सिंह खटकर 2.श्री विरेन्द्र कुमार सिंह 3.श्री प्रीतमसिंह गबेल 4.श्री कृष्णाकांत चन्द्रा 5.श्री राजकुमार शर्मा
दन्तेवाड़ा	1.श्री रामबाबू सिंह 2.श्री पुरुषोत्तम ठाकुर 3.श्री सीताराम तोडेम 4.श्री राधेश्याम चन्द्रवंशी 5.श्री बारसे धनीराम

जशपुर	1.श्री कृष्णकुमार राय 2.श्री नरेश नन्दे 3.श्री मंगलनाथ सिंह 4.श्री कैलाशनाथ गुप्ता
महासमुन्द	1.श्री रोहित चन्द्राकर 2.श्री पूर्णानंद साहू 3.श्री महेन्द्र कुमार नायक 4.श्री माखनधर दीवान
कवर्धा	1.श्री द्वारिका सिंह ठाकुर 2.श्री अजय कुमार बागडे 3.श्री राजेन्द्र सलूजा 4.श्री संतोष तिवारी

वित्तीय वर्ष 2006-07 (अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006) में परिवहन कार्यालयों द्वारा निम्नानुसार चालक अनुज्ञापत्रियाँ जारी की गई हैं :-

क्र.	कार्यालय का नाम	जारी किये गये नवीन चालक अनुज्ञापत्रियाँ (गैर व्यवसायिक)	व्यवसायिक मालयान	व्यवसायिक यात्रीयान	महिलाओं को जारी चालक अनुज्ञापत्रियाँ
1	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर	19680	305	19	1511
2	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, बिलासपुर	6480	432	191	745
3	क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, जगदलपुर	2176	153	15	229
4	अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग	15209	1433	234	1508
5	अति.क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, राजनांदगांव	3459	237	12	185
6	अति.क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अंबिकापुर	3687	417	227	210
7	जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा	5421	460	256	191
8	जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़	3476	55	40	122
9	जिला परिवहन कार्यालय, धमतरी	1444	26	05	61
10	जिला परिवहन कार्यालय, महासमुन्द	1586	—	—	61
11	जिला परिवहन कार्यालय, कांकेर	1349	54	01	44
12	जिला परिवहन कार्यालय, दंतेवाड़ा	944	185	—	96
13	जिला परिवहन कार्यालय, कवर्धा	720	06	—	24
14	जिला परिवहन कार्यालय, जांजगीर-चांपा	3073	134	—	223
15	जिला परिवहन कार्यालय, कोरिया	3018	228	23	108
16	जिला परिवहन कार्यालय, जशपुर	1174	21	02	39
	योग-	72896	4146	1025	5357

6. विभागीय कार्यकलापों एवं गतिविधियों सामान्य एवं विशिष्ट विशेषताएं एवं उपलब्धियां—(वित्तीय वर्ष 2006-07 अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 में)

1. आलोच्य वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक राजस्व संग्रहण क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर तथा राजनांदगांव एवं दुर्ग क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे।
2. "छत्तीसगढ़ प्रदूषण जांच केन्द्र योजना, 2001" प्रभावशील किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित 40 प्रदूषण जांच केन्द्रों में प्रदूषण की जांच की जा रही है।
3. लर्निंग लायसेंस बनाने में पारदर्शिता लाने एवं आवेदकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से समय-समय पर स्कूल एवं कालेजों में विशेष केम्प आयोजित किये जाकर लायसेंस प्रदाय किये गये हैं।
4. अनुज्ञा-पत्र प्राप्ति को सुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार द्वारा जिला कलेक्टर, एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार की हैसियत से अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्योजन किया गया है।
5. विभाग में सूचना का अधिकार लागू है। निष्पादित कार्य की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
6. विभाग का राजस्व अपवंचन रोकने एवं अवैध संचालन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य उड़नदस्ते का गठन किया गया है, जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राज्य होगा है।
7. यात्री बसों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित करने हेतु परमिट शर्त रखी गयी हैं।
8. परिवहन विभाग का सेटअप स्वीकृत किया जा चुका है।
9. छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, दुर्ग दिनांक 07.1.2007 से विभाग के भवन में कार्य प्रारम्भ हुआ।
10. मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा यात्री बसों का संचालन बंद होने के बाद यात्रियों को आवागमन की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी बस संचालकों को पारदर्शितापूर्वक परमिट स्वीकृत किये गये

है। ऐसे परमिट उन सभी मार्गों के लिए स्वीकृत किये गये हैं, जहां पूर्व में राज्य परिवहन निगम की बस संचालित थी। संचालन में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हुई है।

11. राज्य के भीतर यात्री बसों के सुगम संचालन हेतु मार्गों का निर्धारण किया गया है।

7. प्रस्तावित प्रमुख अभिनव योजनायें –

1. स्मार्ट कार्ड योजना—वाहन स्वामियों की सुविधा व डुप्लीकेशन एवं फर्जी प्रकरणों पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग में लायसेंस एवं वाहन की पंजीयन की प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत कर स्मार्ट कार्ड जारी करने की योजना है। इस योजना के तहत लायसेंस एवं पंजीयन किताब के रूप में देने के बजाय एक कार्ड दिया जावेगा, जिस पर स्थाई जानकारियां प्रदर्शित रहेंगी। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी नियुक्त करने बाबत टेण्डर डाक्यूमेंट चिप्स द्वारा तैयार किया जा रहा है। टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार होते ही सक्षम स्तर से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर टेण्डर की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।
2. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर में पंजीयन, ड्रायविंग लायसेंस का कार्य कम्प्यूटरीकृत किया गया है।
3. कम्प्यूटरीकृत एकीकृत जांच चौकी योजना— प्रदेश के प्रमुख जॉच चौकी पाटेकोहरा, खम्हारडीह—भोथलडीह (भगतदेवरी) शंख एवं वाड्डफनगर में कम्प्यूटरीकृत जॉच चौकी स्थापित करने की योजना है। माल वाहनों के ओव्हर लोडिंग संबंधी सम्यक् जॉच हेतु फिलहाल परिवहन जॉच चौकी पाटेकोहरा एवं भगतदेवरी में कार्ययोजना प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके निर्माण हेतु शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के बजट में वित्तीय वर्ष 2005-06 में रूपयें 9.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4. अन्तर्राज्यीय परिवहन को सुचारू बनाने हेतु पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश उड़ीसा तथा उत्तरप्रदेश के साथ प्रारंभिक पारस्परिक परिवहन समझौता सम्पन्न कर लिया गया है।
5. नवीन परिवहन कार्यालयों की स्थापना—आम जनता को परिवहन संबंधी कार्यों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के धमतरी, महासमुन्द, कांकेर, दन्तेवाड़ा, कवर्धा, जांजगीर—चांपा, कोरिया एवं जशपुर में नये परिवहन कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

6. पूर्ववर्ती राज्य परिवहन निगम के भवनों में परिवहन कार्यालयों का स्थानांतरण—राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य के जिन जिलों में पूर्ववर्ती राज्य परिवहन निगम के भवन हैं, उन जिलों के परिवहन कार्यालय उक्त भवनों में स्थानांतरित किये जाने थे, जिसके तारतम्य में परिवहन आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर, बिलासपुर एवं अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अंबिकापुर को स्थानांतरित किया जाकर परिवहन संबंधी कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।
7. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट योजना—यह योजना केन्द्र सरकार की योजना है, जिसके तहत सभी परिवहन कार्यालय में अधिकृत एजेंसी के माध्यम से परिवहन अधिकारी के आदेश पर यह सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सभी प्रकार के वाहनों में लगाये जावेंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त अथवा चोरी, डकैती या ऐसे जघन्य अपराध के समय वाहनों के नम्बर प्लेट बदल कर अपराध घटित करते हैं, उस पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण हो सकेगा साथ ही अपराध के अन्वेषण में आवश्यक सहायता मिलेगी। इससे संबंधित टेण्डर डाक्यूमेंट तैयार कर लिया गया है। सक्षम स्तर से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होते ही टेण्डर की कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जावेगी।
8. सभी परिवहन कार्यालयों में परिवहन उड़नदस्ता का प्रस्ताव—प्रदेश में वर्तमान में केवल 07 परिवहन कार्यालयों में क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ एवं अंबिकापुर में परिवहन उड़नदस्ता कार्यरत है। केवल 07 उड़नदस्ता कार्यरत होने के कारण समग्र रूप से अवैध संचालन पर नियंत्रण किये जाने में कठिनाई हो रही है। इसलिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित 09 परिवहन कार्यालयों में पृथक्-पृथक् उड़नदस्तों की स्वीकृति वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी स्वीकृति दी जाना प्रस्तावित है, ताकि सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में अवैध संचालन पर नियंत्रण लगाया जा सके। राज्य स्तरीय उड़नदस्ते को प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रारम्भ किया गया है।
9. वाहनों में उत्सर्जित प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु गैस एनालाईजर एवं स्मोक मीटर की व्यवस्था—प्रदेश में वाहनों से उत्सर्जित धुएँ को नियंत्रित करने हेतु सभी परिवहन कार्यालयों, प्रमुख जॉच चौकी तथा उड़नदस्ता प्रभारियों को तथा चेकपोस्ट पाटेकोहरा एवं भगतदेवरी को प्रदूषण मापक यंत्र, खरीदा जाकर प्रदान किया जावेगा। इस हेतु शासन द्वारा 1.16 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है।
10. ब्रेथ एनालाईजर—शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर अंकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा 10 ब्रेथ एनालाईजर उपकरण क्रय किये जाकर समस्त उड़नदस्तों एवं चेकपोस्ट, पाटेकोहरा तथा भगतदेवरी को उपलब्ध कराये गये

है। इस प्रकार शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है।

11. बजट संबंधी प्रेषित प्रस्ताव—वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट प्रस्ताव के साथ निम्नानुसार नवीन मद प्रस्ताव वित्त विभाग के समक्ष विचाराधीन है:—

1. नये आठ परिवहन कार्यालय, कवर्धा, महासमुन्द, धमतरी, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर, जांजगीर—चांपा तथा अति. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, राजनांदगांव में परिवहन उड़नदस्ता कार्यरत नहीं है। इन सभी में एक—एक उड़नदस्ता गठित किया जाना प्रस्तावित है। सभी 09 उड़नदस्ता हेतु कुल 81 पद की आवश्यकता होगी। इन पदों के सृजन पर लगभग वार्षिक व्यय 69.74 लाख सम्भावित है।

2. वित्तीय वर्ष 05-06 में कुल 10 नवीन वाहन क्रय कर निम्न परिवहन कार्यालय को आबंटित किये गये हैं:—

1.परिवहन आयुक्त कार्यालय हेतु—	05
2.क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर हेतु—	01
3.जिला परिवहन कार्यालय, रायगढ़—	01
4.जिला परिवहन कार्यालय, कोरबा हेतु—	01
5.जिला परिवहन कार्यालय, कवर्धा हेतु—	01
6.जिला परिवहन कार्यालय, जशपुर नगर हेतु—	01
योग—	<u>10</u>

3. सभी परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटर फ़ैक्स, फोटोकापी मशीन प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी संख्या निम्नानुसार है:—

(1) कम्प्यूटर—	20 नग
(2) फ़ैक्स—	16 नग
(3) फोटोकापी मशीन—	17 नग
योग—	<u>53 नग</u>

उक्त 53 सामग्रियों पर लगभग रू. 31.70 लाख लगभग व्यय संभावित है।

भाग – 2

बजट विहंगावलोकन

2006–2007

प्राप्त बजट— 8,17,75,000
व्यय राशि— 4,22,13,017
व्यय का प्रतिशत— 51.62 प्रतिशत

(माह अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक)

क्रं.	व्यय मद	आबंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1.	निर्देशन/प्रशासन	92,60,000	41,88,098	45.22
2.	संग्रहण	4,94,10,000	2,13,25,942	43.16
3.	मोटर-गाड़ियों का निरीक्षण (प्रर्वतन)	2,05,30,000	1,55,17,132	75.58
4.	अन्य व्यय	25,75,000	1,18,845	45.89
	योग –	8,17,75,000	4,22,13,017	51.62

कार्यालय प्रमुख एवं परिवहन कार्यालयों में पदस्थापना

क्रं.	कार्यालय का नाम	पदस्थ अधिकारी का नाम/पद	एस.टी.डी. कोड एवं फोन नंबर	
			कार्यालय	निवास/मोबाईल
1.	परिवहन आयुक्त, कार्यालय छत्तीसगढ़	श्री बी.के.एस. रे (भा.प्र.से.) अपर मुख्य सचिव, गृह सह-परिवहन आयुक्त	0771-2221338 0771-4080746	फैक्स-0771-450 39162 0771-4080746
2.	परिवहन आयुक्त, कार्यालय छत्तीसगढ़	श्री अशोक जुनेजा (भा.पु.से.) अपर परिवहन आयुक्त, सह-विशेष सचिव, परिवहन	0771-2331388 फैक्स-2331399	0771-4061397
4	परिवहन आयुक्त, कार्यालय छत्तीसगढ़	मो. यूनूष खान, उप-सचालक (वित्त)	0771-2331388 फैक्स-2331399	-
3.	परिवहन आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़	श्री बी.एल. ध्रुव सहायक परिवहन आयुक्त	0771-2331388	0771-2413273
4.	परिवहन आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़	श्री आर.के. राय, सहायक परिवहन आयुक्त	0771-2331388	-
5.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	श्री जी.डी. पाण्डेय	2563155	92171-83335
6.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	श्री जे.एल. पैकरा	07752-258840	07752-270244
7.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर	श्री आर.एस. ध्रुव	07782-222718	-
8.	अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग	श्री पी.आर. नेताम	0788-2324815	94252-09001
9.	अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, राजनांदगांव	श्री ए.गनी खान	07744-223659	98271-40486
10.	अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर	श्री आर.एस. कंवर	07774-220725	-
11.	जिला परिवहन अधिकारी, कोरबा	श्री एम.एल. एक्का	07759-226640	998261-93071
12.	जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़	श्री एल.एक्का	07762-225026	94252-26899
13.	जिला परिवहन अधिकारी, धमतरी	श्री एस.एस. कौशल	07722-238006	94252-15722
14.	जिला परिवहन अधिकारी, महासमुन्द	श्री एस.एस. गुप्ता	07723-224697	94252-13272
15.	जिला परिवहन अधिकारी, कांकेर	श्री एस.एस. कौशल(प्रभारी अधिकारी)	07868-252653	-
16.	जिला परिवहन	श्री आर.एस. ध्रुव (प्रभारी	07856-252653	-

	अधिकारी, दंतेवाड़ा	अधिकारी)		
17.	जिला परिवहन अधिकारी, कवर्धा	श्री एस.के. परेता	07741-233556	94252-58371
18.	जिला परिवहन अधिकारी, जांजगीर-चांपा	श्री आर.एस. टोप्पो	07817-224055	98268-17097
19.	जिला परिवहन अधिकारी, कोरिया	श्री एच.आर. ठाकुर	07836-282313	—
20	जिला परिवहन अधिकारी, जशपुर	श्री हेमंत कश्यप	07763-220916	93294-09295
